प्रश्न सं. [क्र. 246]

परिशिष्ट का प्रपत्र –1

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 246 के प्रश्नांश 'क' की जानकारी
बैठक दिनांक 25.02.2021 सदस्य श्री बैजनाथ कुशवाह

किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत कृषकों को अल्पकालीन ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता की जानकारी

1. ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया:–

अ. कृषक द्वारा निर्धारित दस्तावेज एवं शुल्क सहित सदस्यता प्राप्ति हेतु समिति में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

ब. समिति संचालक मण्डल द्वारा सदस्यता प्रदाय करना।

स. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में वांछित दस्तावेजों सहित अल्पकालीन ऋण हेतु आवदेन प्रस्तुत करना, जिसमें उसके स्वयं के परिचय के साथ निवास, कृषि भूमि तथा बोई जाने वाली फसल का विवरण दिया जावेगा।

द. संस्था प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन, दस्तावेजों, बोई जाने वाली फसल तथा जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में उक्त फसल हेतु निर्धारित ऋणमान के आधार पर साख सीमा पत्रक तैयार किया जाकर समिति संचालक मण्डल की बैठक में साख सीमा अनुमोदित कराकर शाखा स्तर पर गठित कमेटी से साख सीमा स्वीकृत कराई जावेगी।

ई. कृषक हेतु सामान्यतः 5 वर्ष के लिये साख सीमा स्वीकृत की जाती है, किन्तु ऋणमान में परिवर्तन, बोई जाने वाली फसल में परिवर्तन तथा भू–अधिकार में परिवर्तन (क्रय, विक्रय, बंटवारा, नामान्तरण आदि) की दशा में साख सीमा का पुर्ननिर्धारण/संशोधन किया जा सकता है।

फ. इस प्रकार प्राप्त साख सीमा के आधार पर आवेदक को संचालक मण्डल की बैठक में निर्धारित वित्तीय वर्ष में खरीफ तथा रबी मौसम के लिये पात्रता अनुसार नगद तथा वस्तु ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

ज. कृषक द्वारा बैंक शाखा में स्थित सेविंग खाते से चैक/विड्रावल/रूपे कार्ड/ एटीएम के माध्यम से स्वीकृत नगद ऋण राशि का आहरण किया जावेगा तथा स्वीकृत वस्तु ऋण स्वरूप खाद, बीज आदि समिति से परमिट प्राप्त किया जावेगा।

2. ऋण प्राप्ति हेतु दस्तावेजों का विवरण:–

अ. सदस्यता के समय – फोटो, आधारकार्ड, निवास संबंधी प्रमाण पत्र, सदस्यता शुल्क

ब. ऋण प्राप्ति के समय– भू–अधिकार पुस्तिका, किस्तबंदी खतौनी की नकल(बी–1) पांच साला खसरा (पी–2)

3. पात्रताः–

अ. समिति कार्यक्षेत्र का निवासी हो।

ब. आवेदक पागल, दिवालिया या अव्यस्क ना हो।

स. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य हो।

द. कृषि योंग्य भूमि हो, जिस पर कृषि कार्य किया जा रहा हो।

ई. दर्शित भूमि के लिये अन्य बैंकों से ऋण ना लिया हो तथा ज़मीन कहीं रहन/बंधक ना हो।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

परिशिष्ट का प्रपत्र –2

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 246 के प्रश्नांश 'क' की जानकारी
बैठक दिनांक 25.02.2021 सदस्य श्री बैजनाथ कुशवाह

क्रमांक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का नाम
1	बालाघाट
2	छिंदवाड़ा
3	जबलपुर
4	मण्डला
5	नरसिंहपुर
6	सिवनी
7	भिण्ड
8	दतिया
9	गुना
10	ग्वालियर
11	मुरैना
12	शिवपुरी
13	इंदौर
14	धार
15	झाबुआ
16	खरगोन
17	खण्डवा
18	भोपाल
19	बैतूल
20	रायसेन
21	राजगढ़
22	विदिशा
23	होशंगाबाद
24	सीहोर
25	रीवा
26	सतना
27	शहडोल
28	सीधी
29	सागर
30	दमोह
31	पन्ना
32	टीकमगढ़
33	छतरपुर
34	उज्जैन
35	देवास
36	रतलाम
37	मंदसौर
38	शाजापुर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.